District Level Workshop on BRISC MIS held at

Collectorate Sehore MP on 2nd December-2011

In 1995, Government of Madhya Pradesh has approved Bank Recovery Incentive Scheme for the participating banks on "sharing of recovery on cost basis" with a view to achieve the objectives laid down under **Lok Dhan Abhiniyam 1987** for recovery of bank dues of the loans disbursed under various schemes from beneficiaries.

NIC MPSC conceptualized, designed and developed "BRISC-MIS" - a web-based application for Directorate of Institutional Finance (DIF), Govt. of MP . The product is an effective, efficient and transparent system for monitoring BRISC scheme and facilitates the user department in efficient maintenance of Revenue Recovery Certificates (RRCs).

On the instructions of District Collector Dr. Sanjay Goel, and effective implementation of BRISC MIS, NIC Sehore organised a workshop at Collectorate Meeting Hall, Sehore on 2nd December 2011.

Shri Girish Sharma, Joint Collector, Sehore chaired the workshop. In his inaugural address, the he welcomed the gathering and emphasized an urgent need of this application to monitor the scheme. He also suggested revenue officers/staff to update monthly recovery details RRC wise on the web site as per their records, so that RRC issuing authority / Revenue Administration will be knowing the actual status of recovery details.

Sanjay Joshi, DIO NIC Sehore highlighted salient features of Web Based BRISC and demonstrated on-line software. He clarified the doubts raised by the participants and gave necessary guidelines for data compilation, digitations etc for effective implementation for the benefit of participants. Sh. Sourabh Sahu, DIA NIC Sehore demonstrated the reports of MIS. Tehsildars, Readers and about 40 official staff participated in the workshop. workshop ended with vote of thanks.

Compiled by Sanjay Joshi, DIO, NIC-Sehore)

NEWS Paper Clipings

दैनिक नवदुनिया, भोपाल

- 3 DEC 2011

प्रशिक्षण रीडर्स एवं कम्प्यूटर आपरेटर्स को किया प्रशिक्षित

अब शीघ्रता से निबटेंगे प्रकरण

सीहोर(निप्र)। राजस्व वसूली प्रक्रिया को सुदृढ और पारदर्शी बनाने तथा आरआरसी (रेवेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) की ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले की सभी तहसीलों के रीडर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करते संयुक्त कलेक्टर।

गंभीरता बरतें

कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त कलेक्टर गिरीश शर्मा ने सभी प्रशिक्षार्थियों से कहा कि वह आरआरसी वसूली के प्रकरणों का ऑन लाइन निराकरण करने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से प्राप्त करें। किसी भी तरह की शंका होने पर इसका समाधान भी यहीं करें ताकि डाटा एन्ट्री के दौरान त्रुटि की संभावना नहीं रहे। उन्होंने आरआरसी के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि समस्त तहसीलों को सॉफ्टवेयर सहित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कराई जा चुकी है, जिसके मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय जोशी ने प्रोजेक्टर के जरिए आरआरसी एवं ब्रिस्क के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रजेन्टेशन के दौरान कहा कि आरआरसी प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड एवं ऑन लाइन कर दिया गया है इसलिए डॉटा एन्ट्री करते समय पूरी सावधानी बरतना जरूरी है। श्री जोशी ने ऑन लाइन की जाने वाली डॉटा एन्ट्री की तकनीकी जानकारी देते हुए आरआरसी निपटारे की सम्पूर्ण प्रक्रिया से प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया। कार्यशाला में सौरभ साहू ने भी आरआरसी प्रपत्रों में की जाने पूर्ति संबंधी सिलसिलेवार जानकारी दी। इस मौके पर तहसीलदार सुश्री अलका एक्का एवं अतिरिक्त तहसीलदार राजेन्द्र पंवार भी मौजूद थे।

दैनिक राज एक्सप्रेस, भोपाल

- 3 DEC 2011

राजस्व वसूली के लिए आयोजित कार्यशाला में

लंबित प्रकरणों का करें तत्परता से निराकरण

राजस्व वसूली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आरआरसी की ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से कलेक्टोरेट में एक कार्यशाला आयोजित की गई। संयुक्त कलेक्टर ने कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए। जिससे त्रुटि की संभावना न रहे।

■ राज न्यूज नेटवर्क

सीहोर। राजस्व वसूली प्रक्रिया को सुदृढ और पारदर्शी बनाने तथा आरआरसी की ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जिले की सभी तहसीलों के रीडर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

गंभीरत से प्राप्त करें प्रशिक्षण

कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त कलेक्टर गिरीश शर्मा ने सभी प्रशिक्षार्थियों से कहा कि वे आरआरसी वसूली के प्रकरणों का ऑन लाइन निराकरण करने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से प्राप्त करें। किसी भी तरह की शंका होने पर इसका समाधान भी यहीं करें ताकि डाटा एन्ट्री के दौरान त्रुटि की संभावना नहीं रहे। उन्होंने आरआरसी के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि समस्त तहसीलों को सॉफ्टवेयर सहित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कराई जा चुकी है जिसके मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

ऐसे करें डॉटा एन्ट्री

कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय जोशी ने प्रोजेक्टर के जरिए आरआरसी एवं ब्रिस्क के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रजेन्टेशन के दौरान कहा कि आरआरसी प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड एवं ऑन लाइन कर दिया गया है इसलिए डॉटा एन्ट्री करते समय पूरी सावधानी बरतना जरूरी है।

कार्यशाला में श्री जोशी ने ऑन लाइन की जाने वाली डॉटा एन्ट्री की तकनीकी जानकारी देते हुए आरआरसी निपटारे की सम्पूर्ण प्रक्रिया से प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया। कार्यशाला में सौरभ साहू ने भी आरआरसी प्रपत्रों में की जाने पूर्ति संबंधी सिलसिलेवार जानकारी दी। इस मौके पर तहसीलदार सीहोर सुश्री अलका इक्का एवं अतिरिक्त तहसीलदार राजेन्द्र पंवार भी मौजूद थे।

दैनिक जागरण भोपाल

- 3 DEC 2011

आरआरसी प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित

सीहोर। राजस्व वसूली प्रक्रिया को सुदृढ और पारदर्शी बनाने तथा आरआरसी (रेवेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) की ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जिले की सभी तहसीलों के रीडर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

एक सप्ताह में निराकरण करें

कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त कलेक्टर गिरीश शर्मा ने सभी प्रशिक्षार्थियों से कहा कि वे आरआरसी वसूली के प्रकरणों का ऑन लाइन निराकरण करने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से प्राप्त करें। किसी भी तरह की शंका होने पर इसका समाधान भी यहीं करें ताकि डाटा एन्ट्री के दौरान त्रुटि की संभावना नहीं रहे।

उन्होंने आरआरसी के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि समस्त तहसीलों को सॉफ्टवेयर सहित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कराई जा चुकी है जिसके मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

ऐसे करे डॉटा एन्ट्री

कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय जोशी ने प्रोजेक्टर के जरिए आरआरसी एवं ब्रिस्क के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रजेन्टेशन के दौरान कहा कि आरआरसी प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड एवं ऑन लाइन कर दिया गया है इसलिए डॉटा एन्ट्री करते समय पूरी सावधानी बरतना जरूरी है।

श्री जोशी ने ऑन लाइन की जाने वाली डॉटा एन्ट्री की तकनीकी जानकारी देते हुए आरआरसी निपटारे की सम्पूर्ण प्रक्रिया से प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया। कार्यशाला में सौरभ साहू ने भी आरआरसी प्रपत्रों में की जाने पूर्ति संबंधी सिलसिलेवार जानकारी दी। इस मौके पर तहसीलदार सीहोर सुश्री अलका एक्का एवं अतिरिक्त तहसीलदार राजेन्द्र पंवार भी मौजूद थे।

पीपुल्स समाचार, भोपाल

- 3 DEC 2011

ऑपरेटर्स को दिया प्रशिक्षण

पीपुल्स संवाददाता, सीहोर

राजस्व वसूली प्रक्रिया को सुदृढ और पारदर्शी बनाने तथा आरआरसी (रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट) की ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले की सभी तहसीलों के रीडर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त कलेक्टर गिरीश शर्मा ने सभी प्रशिक्षार्थियों से कहा कि वे आरआरसी वसूली के प्रकरणों का ऑनलाइन निराकरण करने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से प्राप्त करें। किसी भी तरह की शंका होने पर इसका समाधान भी यहीं करें, ताकि डाटा एन्ट्री के दौरान त्रुटि की संभावना नहीं रहे।

उन्होंने आरआरसी के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि वे आरआरसी वसूली के प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले की सभी तहसीलों के रीडर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

सीहोर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण लेते हुए रीडर एवं ऑपरेटर्स।

दैनिक स्वदेश, भोपाल

- 3 DEC 2011

आरआरसी प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें

रीडर्स एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स ने लिया प्रशिक्षण

स्वदेश संवाददाता। सीहोर

राजस्व वसूली प्रक्रिया को सुदृढ और पारदर्शी बनाने तथा आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) की ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जिले की सभी तहसीलों के रीडर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

एक सप्ताह में निराकरण करें- कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त कलेक्टर श्री गिरीश शर्मा ने सभी प्रशिक्षार्थियों से कहा कि वे आरआरसी वसूली के प्रकरणों का ऑन लाइन निराकरण करने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से प्राप्त करें। किसी भी तरह की शंका होने पर इसका समाधान भी यहीं करें ताकि डाटा एन्ट्री के दौरान त्रुटि की संभावना नहीं रहे। उन्होंने आरआरसी के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए।

श्री शर्मा ने कहा कि समस्त तहसीलों के रीडर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को सॉफ्टवेयर सहित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कराई जा चुकी है जिसके मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

ऐसे करें डॉटा एन्ट्री- कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय जोशी ने प्रोजेक्टर के जरिए आरआरसी एवं ब्रिस्क के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रजेन्टेशन के दौरान कहा कि आरआरसी प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड एवं ऑन लाइन कर दिया गया है इसलिए डॉटा एन्ट्री करते समय पूरी सावधानी बरतना जरूरी है। श्री जोशी ने ऑन लाइन की जाने वाली डॉटा एन्ट्री की तकनीकी जानकारी देते हुए आरआरसी निपटारे की सम्पूर्ण प्रक्रिया से प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया। कार्यशाला में श्री सौरभ साहू ने भी आरआरसी प्रपत्रों में की जाने पूर्ति संबंधी सिलसिलेवार जानकारी दी। इस मौके पर तहसीलदार सीहोर सुश्री अलका इक्का एवं अतिरिक्त तहसीलदार श्री राजेन्द्र पंवार भी मौजूद थे।

दैनिक भास्कर, भोपाल

- 3 DEC 2011

रीडर एवं कम्प्यूटर आपरेटरों ने लिया प्रशिक्षण

सीहोर। राजस्व वसूली प्रक्रिया को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने तथा आरआरसी (रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट) की ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से कलक्टोरेट सभाकक्ष में शुक्रवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिले की सभी तहसीलों के रीडर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

एक सप्ताह में निराकरण करें: कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त कलेक्टर गिरीश शर्मा ने सभी प्रशिक्षार्थियों से कहा कि वे आरआरसी वसूली के प्रकरणों का ऑन लाइन निराकरण करने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से प्राप्त करें। किसी भी तरह की शंका होने पर इसका समाधान भी यहीं करें ताकि डाटा एन्ट्री के दौरान त्रुटि की संभावना नहीं रहे। उन्होंने आरआरसी के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि समस्त तहसीलों को सॉफ्टवेयर सहित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कराई जा चुकी है जिसके मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

ऐसे करें डॉटा एन्ट्री: कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय जोशी ने प्रोजेक्टर के जरिए आरआरसी एवं ब्रिस्क के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रजेन्टेशन के दौरान कहा कि आरआरसी प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड एवं ऑन लाइन कर दिया गया है। इसलिए डॉटा एन्ट्री करते समय पूरी सावधानी बरतना जरूरी है।

दैनिक समय जगत भोपाल

- 3 DEC 2011

रीडर्स एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स ने लिया प्रशिक्षण

सीहोर। राजस्व वसूली प्रक्रिया को सुदृढ और पारदर्शी बनाने तथा आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) की ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जिले की सभी तहसीलों के रीडर और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त कलेक्टर गिरीश शर्मा ने सभी प्रशिक्षार्थियों से कहा कि वे आरआरसी वसूली के प्रकरणों का ऑन लाइन निराकरण करने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से प्राप्त करें। किसी भी तरह की शंका होने पर इसका समाधान भी यहीं करें ताकि डाटा एन्ट्री के दौरान त्रुटि की संभावना नहीं रहे। उन्होंने आरआरसी के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए।

श्री शर्मा ने कहा कि समस्त तहसीलों को सॉफ़्टवेयर सहित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कराई जा चुकी है जिसके मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय जोशी ने प्रोजेक्टर के जरिए आरआरसी एवं ब्रिस्क के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने प्रजेन्टेशन के दौरान कहा कि आरआरसी प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड एवं ऑन लाइन कर दिया गया है इसलिए डॉटा एन्ट्री करते समय पूरी सावधानी बरतना जरूरी है। श्री जोशी ने ऑन लाइन की जाने वाली डॉटा एन्ट्री की तकनीकी जानकारी देते हुए आरआरसी निपटारे की सम्पूर्ण प्रक्रिया से प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया।

कार्यशाला में सौरभ साहू ने भी आरआरसी प्रपत्रों में की जाने पूर्ति संबंधी सिलसिलेवार जानकारी दी। इस मौके पर तहसीलदार सीहोर अलका इक्का एवं अतिरिक्त तहसीलदार राजेन्द्र पंवार भी मौजूद थे।